एस0एन0डी0 2015-16

वित्तीय स्वीकृति (आयोजनागत)

संख्या-112/2015/920/एक-5-2015-12/2015

प्रेषक,

गिरीश चन्द्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-5 **लखनऊ : दिनांक 07 जुलाई, 2015**

विषयः-प्रदेश की नवसृजित जनपदों के कलेक्ट्रेट के अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 के पत्र संख्या-141/12(भवन)-25/2015, दिनांक 16 अप्रैल, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-148/एक-5-2015-12/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 के द्वारा प्रदेश की नवसृजित 02 जनपदों के **कलेक्ट्रेट**, **जनपद हापुड़ कलेक्ट्रेट तथा जनपद शामली कलेक्ट्रेट** के अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु मानकीकृत लागत रू0 1040.94 लाख के आधार पर कुल रू0 2081.88 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में प्रति कलेक्ट्रेट रू0 400.00 लाख अर्थात् 02 कलेक्ट्रेट हेतु कुल रू0 800.00 लाख (रूपये आठ करोड़ मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गयी थी।

2- प्रश्नगत कार्य हेतु गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में शासनादेश संख्या-148(1)/एक-5-2015-12/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 के द्वारा प्रदेश की नवसृजित उपरोक्त 02 कलेक्ट्रेटों के अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की गयी प्रति कलेक्ट्रेट रू0 400.00 लाख अर्थात् 02 कलेक्ट्रेट हेतु कुल रू0 800.00 लाख (रूपये आठ करोड़ मात्र) की धनराशि कोषागार से आहरित न हो सकी। अतः उक्त के दृष्टिगत श्री राज्यपाल महोदय **जनपद हापुड़ कलेक्ट्रेट तथा जनपद शामली कलेक्ट्रेट के अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु प्रति तहसील मानकीकृत लागत रू0 1040.94 लाख के आधार पर प्रथम किश्त के रूप में प्रति कलेक्ट्रेट रू0 400.00 लाख अर्थात् 02 कलेक्ट्रेट हेतु कुल रू0 800.00 लाख (रूपये आठ करोड़ मात्र)** की धनराशि अवमुक्त कर व्यय किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

[redacted]

(1) राजस्व परिषद द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि नियमानुसार आहरित कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था (उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम) को उक्त प्रयोजन हेतु शीघ्र उपलब्ध करा दी जायेगी।

(2) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष सम्पन्न कराये गये कार्य की गुणवत्ता निर्धारित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप कराते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय से उपलब्ध कराया जाय। निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा के अन्दर पूर्ण भी किया जाय।

(3) राजस्व परिषद द्वारा यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में शासनादेश संख्या-148(1)/एक-5-2015-12/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 के द्वारा प्रदेश की नवसृजित उपरोक्त 02 कलेक्ट्रेटों के अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की गयी प्रति कलेक्ट्रेट रू0 400.00 लाख अर्थात् 02 कलेक्ट्रेट हेतु कुल रू0 800.00 लाख की धनराशि कोषागार से आहरित न हुई हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) स्वीकृति धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। मूल स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश में दिये गये दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पूर्व में अवमुक्त धनराशि दुबारा अवमुक्त नहीं हो रही है तथा गत वित्तीय वर्ष में अवमुक्त् की गयी धनराशि के आहरण के लिये दोषी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर शासन को अवगत कराया जायेगा।

(6) शेष शर्ते मूल शासनादेश के अनुसार यथावत रहेगी।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-50 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-02-प्रदेश के मण्डल/जनपद/तहसीलों के अनावासीय भवनों के नवनिर्माण/ विस्तार/पुर्ननिर्माण/सुदृढ़ीकरण एवं भूमि क्रय हेतु एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के आशासकीय संख्या-ई-5-885/दस-2015, दिनांक 03 जुलाई, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
गिरीश चन्द्र
अनु सचिव।

संख्या-112/2015/920(1)/एक-5-2015-12/2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, लखनऊ।
3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
5- जिलाधिकारी, हापुड/शामली।
6- प्रबंधक निदेशक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, लखनऊ/सम्बन्धित परियोजना प्रबंधक।
7- राजस्व अनुभाग-6
8- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,
गिरीश चन्द्र
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।